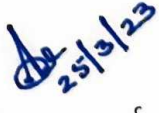


अपर समाहर्ता का न्यायालय, बोकारो।

एल0आर0 अपील वाद संख्या.....06.../2013

(बुरु संतरा स्वर्णकार उर्फ बुरु स्वर्णकार बनाम् गौर सुत्रधर)

आदेश
गई
बारे में
तारीख सहित

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
25-03-2023	प्रस्तुत अपीलवाद भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास के न्यायालय का भू-हदबंदी वाद-02/2012-13 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 21.10.2013 के विरुद्ध बुरु संतरा स्वर्णकार उर्फ बुरु स्वर्णकार, पिता स्व० भरत संतरा स्वर्णकार उर्फ भरत स्वर्णकार, ग्राम-चंदनकियारी, थाना+पो०-चंदनकियारी, जिला बोकारो एवं श्रीमती कल्पना देवी, पति श्री गौरवरण ओझा, पो०+थाना- चंदनकियारी, जिला-बोकारो के द्वारा अपने विद्वान् अधिवक्ता के माध्यम से लाया गया है। विवादित भूमि मौजा-चंदनकियारी, खाता नं०-569, प्लॉट नं०-2635, रकवा-2.95 एकड़ मध्ये $1\frac{1}{8}$ डी० भूमि से संबंधित है। अपीलार्थी द्वारा अपने विद्वान् अधिवक्ता के माध्यम से भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास के द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध अपीलवाद दायर किया गया है। इस वाद में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है नोटिस निर्गत के बावजूद उभय पक्ष इस वाद में लगातार अनुपस्थित हैं। इससे प्रतीत होता है अपीलकर्ता को इस वाद के प्रति कोई अभिरुची नहीं है। अतः उभय पक्षों की लगातार अनुपस्थिति के आधार पर इस अपीलवाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अपर समाहर्ता, बोकारो।  अपर समाहर्ता, बोकारो।	